01/2021

संख्याः–1788/36–03–2020–01(सा0)/14टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उ0 प्र0 कानपुर।

उप श्रमा० (प्रवर्तन)

श्रम अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक :: 11 जनवरी, 2021

विषयः– केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–2040/प्रवर्तन–2020 दिनांक 21.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

14/01/21

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश, हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पत्र संख्या–2496/77–6–20–एल.सी.32/2015 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा श्रम, फैक्ट्रीज, ब्वायलर्स, पर्यावरण विभाग तथा विधिक बॉट माप विज्ञान विभाग (Legal Metrology Department) को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कम में श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम, फैक्ट्रीज एवं ब्वायलर्स का सभी निरीक्षण निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत (शिकायतों के आधार पर निरीक्षण को छोड़कर) केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अधीन किये जायेंगेः–

A.O. (प्रवर्तन)

14.01.XXI

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
3. उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962
4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
5. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
6. आनुतोषिक भुगतान अधिनियम, 1972
7. संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970
8. कारखाना अधिनियम, 1948
9. भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923
10. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
11. उ0प्र0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965

121
14-01-2021

3– निरीक्षण हेतु प्रतिष्ठानों का चयन जोखिम के आधार पर (Random Basis) पर किया जायेगा तथा निरीक्षण श्रम विभाग द्वारा पोर्टल पर दिये गये चेक लिस्ट

Scanned with CamScanner

के अनुसार किये जायेंगे। अधिष्ठानों का चयन एवं निरीक्षकों का चयन केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत इस प्रकार किया जायेगा कि कोई भी निरीक्षक किसी भी प्रतिष्ठान का दो बार निरीक्षण न करे।

निरीक्षण टिप्पणी निरीक्षण के 48 घण्टों के अन्दर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर इस प्रकार अपलोड की जायेगी कि प्रतिष्ठान तथा विभाग द्वारा उसे देखा जा सके। निरीक्षण किये जाने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये जाने से पूर्व सूचना पोर्टल के माध्यम से दिया जायेगा।

केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट को 03 साल तक देखने और डाउनलोड करने की व्यवस्था की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–1788(1)/36–03–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 12–सी, माल एवेन्यू, रोड लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0)
4– निदेशक कारखाना, उ0प्र0 कानपुर।
5– निदेशक ब्वायलर्स, उ0प्र0 कानपुर।
6– समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0। (द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0)
7– समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक कारखाना, उ0प्र0)
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
विशेष सचिव।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या 2089-94 / प्रवर्तन(CIS)-2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित में क्रमॉक-1 से 3 को शासनादेश सं0-1788/36-3-2020-01(सा0)/14 टी0सी0 दि0 11 जनवरी, 2021 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने के साथ ही शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही एवं औपचारिकताएं पूर्ण कराने का कष्ट करें। शेष अन्य(क्रमॉक-4 व 5)उक्त से अवगत होने का कष्ट करें :-

F VIKALP 2020 Vikalp 2020 g.o. docx

1- सहायक श्रमायुक्त, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
2- श्री राहुल पुरवार, वरिष्ठ प्रबन्धक (साफ्टवेयर), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
3- निदेशक,मार्ग साफ्टवेर सोल्यूशंस प्रा0 लि0,SF-I /III, Asha Apartment-1,7-Way Road,लखनऊ-226001
4- समस्त शीर्ष औद्योगिक संगठन, उ0प्र0।
5- समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उ0प्र0।

(सियाराम)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner